न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या – 122/2013

नन्दकिशोर पुत्र श्री मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी पाटून्दा तह0 अंता जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–वादी

बनाम

01. जुगलकिशोर पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी पाटून्दा
02. चन्द्र गोपाल पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी पाटुन्दा तह0 अंता
03. हरिशचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण नि0 ब्रहमपुरी पंचायत समिति के पीछे अन्ता
04. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी ब्यावर बांगड सीमेंट फैक्ट्री क्वार्टर नं0 101 वर्कर कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेंर
05. देवस्थान विभाग कोटा जर्ये प्रबंधक देवस्थान कोटा
06. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

–प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 आर0टी0एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री रामस्वरूप नागर

वकील प्रतिवादीगण : श्री हरीश राजावत

दायरा दिनांक: 13.11.2013 निर्णय दिनांक : 13.11.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम उदपुरिया तहसील मांगरोल में अन्य आराजी के अतिरिक्त खसरा नम्बर 282 रकबा 2.35 है0, खसरा नं0 284 रकबा 1.00 है0, खसरा नं0 304 रकबा 1.63 है0 बखाता मंदिर श्रीलाल बिहारीजी गढ पाटून्दा अवस्थित है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता श्री मांगीलाल आत्मज श्री रघुनाथ का नाम आराजियात में बहैसियत पुजारी अंकन रहा है, तथा मांगीलाल जब तक जीवित रहे पुजारी की हैसियत से अन्य कृषि भूमि के अतिरिक्त आराजी उक्त वर्णित पर भी काबिज काश्त रहे। मांगीलाल के स्वर्गवास के बाद वाद एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 श्री मांगीलाल के जायज वारिस एवं कायम मुकामान है। प्रतिवादी क्रम 3 व 4 उक्त मंदिर की सेवा पुजा नही करते है एवं वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ही मंदिर में सेवा पूजा करते आ रहे है। राज्य सरकार ने विलोपित किये गये पुजारियों के नाम दोबारा राजस्व जमाबंदियो में अंकन किये जाने के आदेश फरमायें है। प्रतिवादी क्रम 3 व 4 मांगीलाल के वारिस होने के आधार पर ही उक्त वर्णित आराजी में अपना हक व अधिकार जताते है

[illegible] की सेवा पूजा नही करते है। अतः निवेदन है कि एक डिक्री बहक वादी इस आशय की [illegible] पारित की जावें कि आराजी खसरा नं0 282 रकबा 2.35 है0, खसरा नं0 284 रकबा 1.00 है0, खसरा नं0 304 रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम उदपुरिया तहसील मांगरोल पर प्रतिवादी कम 3 व 4 हस्तक्षेप ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को नियुक्त पुजारी [illegible] मंदिर श्री बिहारी लालजी पाटून्दा का पुजारी घोषित किया जाकर इसी प्रकार कागजात [illegible] में अन्दराज दरान्द की डिक्री फरमाई जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 13.11.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामरतन गोचर ने वकालत नामा दिनांक 21.05.2014 को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 1 व 4 की ओर से दिनांक 21.05.2014 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जवाब दावा अनुसार खसरा नम्बर 282 रकबा 2.35 है0, खसरा नं0 284 रकबा 1.00 है0, खसरा नं0 304 रकबा 1.63 है0 बखाता मंदिर श्रीलाल बिहारीजी गढ पाटून्दा अवस्थित है स्वीकार किया है एवं वाद पत्र की शेष समस्त मद अस्वीकार किए है। एवं निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 282 रकबा 2.35 है0, खसरा नं0 283 रकबा 2.91, खसरा नं0 284 रकबा 1.00 है0, खसरा नं0 301 रकबा 2.16 है0 कुल किता 4 रकबा 8. 42 है0 खाता संख्या 305 ग्राम उदपुरिया में स्थित है इसी प्रकार ग्राम उदपुरिया की आराजी खाता संख्या 301 खसरा नं0 279/622 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 285 रकबा 5.79 है0, खसरा नं0 304 रकबा 1.63 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 7.55 है0 मंदिर श्रीलाल बिहारी गढ पाटोन्दा के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 अपने–अपने हिस्से कमशः 1/5–1/5 पर काबिज हो काश्त कर रहे है। जिसे वादी ने कभी चैलेन्ज नही किया है। वाद पत्र में वर्णित आराजी श्रीलाल बिहारीजी महाराज की जमीन है जिस पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी न्यायालय खातेदार एवं पुजारी घोषित नहीं करत सकता। अतः निवेदन है कि वाद पत्र वादी खारिज किया जावें।

01. प्रकरण के संदर्भ में तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल जो राज्य सरकार को पैरोकार है की टिप्पणी ली गयी। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल ने अवगत करवाया कि बिन्दू सं0 1 रेकार्डेड है आंशिक स्वीकार है।
02. बिन्दु नं0 2 रेकार्डेड है जो आंशिक स्वीकार है।
03. बिन्दु नं0 3 अस्वीकार है। विस्तार से विशेष आपत्ति में निवेदन किया है।
04. बिन्दु नं0 4 पारिवारिक है, जो अस्वीकार है।
05. बिन्दु नं0 5 अस्वीकार है।
06. बिन्दु नं0 6 अस्वीकार है।
07. बिन्दु नं0 7 स्वीकार है।

(ग) बिन्दु सं0 8 अस्वीकार है।

(घ) बिन्दु सं0 9, 10, 11, 12, 13 अस्वीकार है।

(ङ) बिन्दु सं0 14, 15, 16 कानूनी है।

विशेष आपत्तियां–

उप शासन सचिव राजस्व ग्रुप 6 कमांक प–2(4) राज0 4/90 दिनांक 13.12.1991 के अनुसार मंदिर देव मूर्ति की खातेंदारी भूमि में देव मूर्ति के साथ पुजारी के नाम से सम्बन्ध में पुजारी का सिवायत का सेवा पूजा का यदि कोई अधिकार है ता बहक दीवानी अधिकार है जिसका सम्बन्ध दिवानी न्यायालय से है राजस्व कानूनो अथवा कृषको के अधिकारो से उसका कोई संबंध नही है, तथा राजस्व रेकार्ड में खातेदार के साथ पुजारीयान सिवायत का नाम लिखे जाने का कोई प्रावधान नही है। भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त द्वारा बनाई जाये उसमें देव मूर्ति के साथ पुजारियों, सिवायत का नाम नही लिखा जावें एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अनुसार माफी मूर्ति–मंदिर माफी मस्जिद माफी पीरजी आदि की भूमियां तदनुसार देवता/मस्जिद/दरगाह/मजार की ही स्थाई सम्पति मानी है। उक्त सभी माफियात भूमियां धार्मिक स्थलो की पुण्यार्थ मानी है एवं इन सभी स्थलो को नाबालिग मानते हुए इनके हक–हकूको की सुरक्षा का जिम्मा संबंधित पुजारियों/सेवादारो का माना गया है साथ ही राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर एवं राज्य सरकार के यह स्पष्ट निर्देश है कि उक्त माफी मंदिर/मस्जिद/दरगाहों की भूमि का टाइटल उक्त धार्मिक स्थलों के नाम ही रहेगा। न कि पुजारी/सेवक/खादिम आदि के नाम रहेगा। साथ ही राज्य सरकार उक्त धार्मिक स्थलो के नाम /टाईटल भूमि के हको की भली प्रकार रक्षा हेतु राजस्व विभाग उत्तरदायी होगी। अर्थात उक्त धार्मिक स्थलो के नाम की माफी भूमि पर किसी भी पुजारी/सेवादार के नाम टाइटल किसी भी सूरत में यहां तक की एडवर्स पजेशन की सूरत में भी नही किया जावेंगा।

इस संबंध में माननीय उच्च्तम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा–

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है।

(रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)

[illegible] कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।

(राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन

श्री आनन्द कुमार– मेम्बर

श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर

श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर

श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः विस्तृत जवाब प्रतिवादी संख्या 6 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से वाद पत्र में अंकित आराजी खसरा नं0 282 रकबा 2.35 है0, खसरा नं0 284 रकबा 1.00 है0, खसरा नं0 304 रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम उदपुरिया तहसील मांगरोल में वादी/प्रतिवादीगण दोनो के नाम ही टाइटल नही रखा जावें। मुताबिक वर्तमान जमाबंदी ग्राम उदपुरिया सम्वत 2067–70 मंदिर श्री बिहारीलालजी गढ पाटून्दा खातेदार के नाम खसरा नं0 279/62 रकबा 0.13 खसरा नं0 285 रकबा 5.79 है0 खसरा नं0 304 रकबा 1.63 है0 कुल किता 3 रकबा 7.55 है0 इन्द्राज यथावत रखा जाना एवं प्राइवेट ट्रस्ट अध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत नाम हजफ किया जाना उचित होगा। इसी प्रकार मंदिर श्री लाल बिहारीजी गढ पाटून्दा के नाम खसरा नं0 282 रकबा 2.35 है0 खसरा नं0 283 रकबा 2.91 है0 खसरा नं0 283 रकबा 1.00 है0 खसरा नं0 301 रकबा 2.16 है0 कुल किता 4 रकबा 8.42 है0 का इन्द्राज यथावत रखा जाना उचित होगा।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 6 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल के विस्तृत जवाब दावे एवं बहस फाईनल के प्रकाश में जमाबंदी ग्राम उदपुरिया सम्वत 2067–70 मंदिर श्री बिहारीलालजी गढ पाटून्दा खातेदार के नाम खसरा नं0 279/62 रकबा 0.13 खसरा नं0 285 रकबा 5.79 है0 खसरा नं0 304 रकबा 1.63 है0 कुल किता 3 रकबा 7.55 है0 इन्द्राज यथावत रखा जाने एवं प्राइवेट ट्रस्ट अध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत नाम हजफ किया जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार मंदिर श्री लाल बिहारीजी गढ पाटून्दा के नाम खसरा नं0 282 रकबा 2.35 है0 खसरा नं0 283 रकबा 2.91 है0 खसरा नं0 283 रकबा 1.00 है0 खसरा नं0 301 रकबा 2.16 है0 कुल किता 4 रकबा 8.42 है0 का इन्द्राज यथावत रखा जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुन